

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-२

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक ०७ मार्च, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-३/२०१७/४५७ दिनांक 22.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०) / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
१	स्नातक (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०)	०२ वर्ष	रु० 10.०० लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
२	स्नातकोत्तर (एम०डी० / एम०एस० / एम०डी०एस० / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	०२ वर्ष	रु० 40.०० लाख (डिग्री हेतु) रु० 20.०० लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अथवा संविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी० एम०/ एम०सी०एच०)	02 वर्ष	रु० 100.00 लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल चिकित्सालयों में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
---	---	---------	-------------------	---

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निष्पादित की जायेगी:-
1. बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस०) डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्थान/ विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य/ निदेशक/ कुलसंचिव के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार मे जमा करायी जायेगी।
  2. बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
  3. ऐसे चिकित्सकों (एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस०/ स्नातकोत्तर डिग्री धारक/ पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ एम०डी०एस०) को वहीं परिलक्षियाँ तथा मासिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/ सीनियर रेजीडेण्ट अथवा वाक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त संविदा चिकित्सकों को किए जाते हैं।
  4. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलक्षियाँ निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
  5. बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
  6. राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम मे बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
  7. अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलक्षियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित द्विपक्षीय बाण्ड में द्वितीय पक्ष श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एग्रीमेण्ट बाण्ड पर हस्ताक्षर करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/मेडिकल कालेज/यूनिवर्सिटी के सक्षम अधिकारी को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

3- उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपलान सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय,  
(डा० जीनीश दुबे)  
प्रमुख सचिव।

संख्या— /71-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- रटाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सौफई, इटावा।
- निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।
- निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
- निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
- निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
- प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० (झारा महानिदेशक, निःशुल्क द्वारा नामित)।
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० (झारा महानिदेशक, निःशुल्क द्वारा नामित)।
- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१ एवं ४।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)  
उप सचिव।

### कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या—एम०ई०-३/२०१८/ ५०९ लखनऊ-दिनांक १० मार्च, २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र०, लखनऊ
- कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ
- कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सौफई, इटावा
- निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ
- निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
- निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा
- निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा
- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झौंसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, अमेड़करनगर, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बौद्ध तथा बद्रीगृह
- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बद्रीगृह, बरेती, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरती, संत कबीर नगर, रियाईर्ख नगर, बौद्ध, वित्रकूट, हीरोपुर, महावा, बहराईच, बलरामपुर, गोण्डा, शाहजहाँपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, जालौन, अमेड़करनगर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुलतानपुर, अमेड़ी, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, जालौन, झौंसी, ललितपुर, औरया, इटावा, फलखालाबाद, कन्नौज, कानपुर देहत, कानपुर नगर, हरदोई, लालौन, खीरी, झौंसी, ललितपुर, रायरेली, सीतापुर, उन्नाव, बागपत, बुलन्दशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड, लखनऊ, रायरेली, सीतापुर, उन्नाव, बागपत, बुलन्दशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड, मीरजापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, विजनौर, अमरोहा, मुरदाबाद, रामपुर, समाल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी।

(केके�० गुप्ता)  
महानिदेशक।